संःसं० 10 / विविध–15–30 / 2014 648(10) दि० 07.09.15

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के द्वारा अनुशंसित आहार भत्ता (RDA) के आलोक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, महाविद्यालय अस्पतालों तथा देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र के अस्पतालों में अन्तर्वासी रोगियों के लिए आहार (पथ्य) दर 50 / –(पचास) रुपये प्रतिदिन प्रति मरीज को संशोधित कर 100 / –(एक सौ) रुपये प्रतिदिन प्रति मरीज करने के संबंध में ।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या–338(10), दिनांक–14.12.2009 के द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में पथ्य की दर 50 / –रुपये (पचास) प्रतिदिन प्रति मरीज किया गया है, जो वर्त्तमान में लागू है । पथ्य (भोजन) चिकित्सा का ही एक अभिन्न अंग है । अतः रोगी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ, सुपाच्य पथ्य भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है । महंगाई में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप इस अल्प राशि से अन्तर्वासी रोगियों को पथ्य उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाई की दृष्टिकोण से पथ्य दर में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में पूर्व में निर्धारित दर 50 / – (पचास) रुपये प्रति मरीज प्रतिदिन को बढ़ाकर 100 / –(एक सौ) रुपये प्रति मरीज प्रतिदिन करने का निर्णय एतद् द्वारा लिया जाता है । प्रतिदिन मरीजों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का विवरण निम्न प्रकार है–

(i) फुल डायट (नार्मल) Energy-3500 Kcal/Protein- 100gm

(a) सुबह का नास्ता–	44.50 रुपये
(b) भोजन (दोपहर एवं संध्या)–	48.19 रुपये
(c) विविध–	05.00 रुपये
कुल–	**97.69 रुपये**

(ii) हाफ डायट (चिल्ड्रेन) Energy-2775 Kcal/Protein-100gm

(a) सुबह का नास्ता–	48.70 रुपये
(b) भोजन (दोपहर एवं संध्या)–	38.60 रुपये
(c) विविध–	05.00 रुपये
कुल–	92.30 रुपये

D:\New folder1\DIP-10\Amrendra Kr\Sankalp.doc

7/9/2015

(iii) लोफ फ्रूट साफ्ट ब्लैंड डायट Energy-2500 Kcal/Protein- 65gm

(a) नास्ता (सुबह–शाम)–		90.30 रुपये
(b) विविध–		05.00 रुपये
	कुल–	**95.30 रुपये**

(iv) डायबेटिक पथ्य Energy-2500 Kcal/Protein- 80 gm

(a) नास्ता (सुबह–शाम)–		44.00 रुपये
(b) भोजन (दोपहर एवं संध्या)–		41.88 रुपये
(c) विविध–		05.00 रुपये
	कुल–	**90.88 रुपये**

(v) पोस्ट आपरेटिभ सुपाच्य पथ्य Energy-2600 Kcal/Protein- 78 gm

(a) नास्ता (सुबह–शाम)–		44.50 रुपये
(b) भोजन (दोपहर एवं संध्या)–		43.77 रुपये
(c) विविध–		05.00 रुपये
	कुल–	**93.27 रुपये**

(vi) रीनल डायट–लोप्रोटीन Energy-2450 Kcal/Protein- 36 gm

(a) नास्ता (सुबह–शाम)–		32.10 रुपये
(b) भोजन (दोपहर एवं संध्या)–		61.20 रुपये
(c) विविध–		05.00 रुपये
	कुल–	**98.30 रुपये**

(vii) ट्यूब फीड–लिक्वीड डायट Volume-1400 ml, 1400 Kcal/Protein- 33 gm

(a) फ्रुट जूस–		23.43 रुपये
(b) दूध–		20.44 रुपये
(c) सूप–		16.22 रुपये
(d) सी0पी0 मिक्स–		22.26 रुपये
(e) विविध–		05.00 रुपये
	कुल–	**87.35 रुपये**

(viii) डी0भी0डी0 डायट Electrolyte rich Pre-Biotic Diet-1200 Cal

(a) क्लीअर फल्यूड ORS–		02.68 रुपये
(b) लिक्वीड जूस–		22.99 रुपये
(c) वटर मिल्क या लस्सी–		15.00 रुपये
(d) भोजन–		43.20 रुपये
(e) विविध–		05.00 रुपये
	कुल–	**88.87 रुपये**

GH8(10)
07-09-15

D:\New folder1\DIP-10\Amrendra Kr\Sankalp.doc

7/9/2015

3. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
7/9/2015
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 10/विविध–15–30/2014 648(10) /स्वा0,पटना दिनांक– 07.09.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/अधीक्षक, सभी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–1,7,16 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

7/9/2015
सरकार के संयुक्त सचिव।